प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 06.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 मौजीलाल वर्मा मय हमराह हे0कां0 रामबाबू व हे0कां0 मो0हक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सुशील यादव पुत्र काशीप्रसाद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम बन्नी थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बंधित मु0नं0 147/25 अ0सं0 110/23 धारा 279/337/304ए भादवि0 में मा0 न्यायालय श्रीमान स्पेशल जेएम-2 बांदा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम बन्नी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया। ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुशील यादव पुत्र काशीप्रसाद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम बन्नी थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1 उ0नि0 मौजीलाल वर्मा
2. हे0कां0 रामबाबू
3. हे0कां0 मो0हक

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 01 अवैध तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस के साथ दो नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं अवैध तमंचे की रोकथाम अभियान के तहत आज दिनांक- 06.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा, श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र अन्तर्गत रोडवेज बस स्टैण्ड परिसर के भवन के पीछे से अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.सहबाज पुत्र रफीक सौदागर उम्र 28 वर्ष निवासी मु0 मातवाना थाना कोतवाली नगर जपनद छतरपुर (म0प्र0) के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त 2.सादाब पुत्र मो0 हारून उम्र 19 वर्ष निवासी मु0 परिवारी थाना कोतवाली नगर जपनद छतरपुर (म0प्र0) के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज की बरामदगी की गयी है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 206/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया व गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण व बरामदगी-

1. सहबाज पुत्र रफीक सौदागर उम्र 28 वर्ष निवासी मु0 मातवाना थाना कोतवाली नगर जपनद छतरपुर (म0प्र0)। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. सादाब पुत्र मो0 हारून उम्र 19 वर्ष निवासी मु0 परिवारी थाना कोतवाली नगर जपनद छतरपुर (म0प्र0)। जिसके कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा चौकी इन्चार्ज मेडिकल चौकी अस्थाई थाना कोतवाली नगर
2. हे0कां0 शिवमहन्त मौर्य थाना कोतवाली नगर महोबा
3. हे0कां0 अमित नागर थाना कोतवाली नगर महोबा
4. कां0 चंदन पांचाल थाना कोतवाली नगर महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 लालमणि के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट के क्रम में मु0अ0स0 264/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त प्रिंस खगांर पुत्र करन सिंह परिहार खंगार उम्र 29 वर्ष निवासी छःथोक कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को वारन्ट से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कराया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गयाहै।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

प्रिंस खगांर पुत्र करन सिंह परिहार खंगार उम्र 29 वर्ष निवासी छःथोक कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 लालमणि थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 अवनेश कुमार थाना कोतवाली नगर महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में यातायात पुलिस टीम ने चलाया यातायात जागरुकता/चेकिंग अभियान, पढाया गया यातायात नियमों का पाठ।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने व यातायात व्यवस्था को गतिमान बनाये रखने तथा जनपदवासियों में यातायात नियमों के प्रति जनजागरुकता के उद्देश्य से यातायात पुलिस टीम द्वारा निरन्तर सघन चेकिंग/जागरुकता अभियान चलाया गया है।

जिसके क्रम में विशेष अभियान के तहत आज दिनांक- 06.05.2025 को प्रभारी यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा लोगों को जागरुक करते हुये सभी से अपील की जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय हमेशा सुरक्षा मापदण्डों का पालन करें। साथ ही सम्बन्धित वाहन के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत सीज/चालान की कार्यवाही की गयी है। जिससे लोगो में यह सन्देश जाये कि यातायात नियमों का पालन न करते हुए सड़क में चलना उचित नहीं है।

महोबा पुलिस आप सभी से अपील करती है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा न करें, यातायात नियमों का पालन करें, अपना तथा अपनों का जीवन सुरक्षित करें।